**संख्याः4/2019/197/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019**

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग** **लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी, 2019**

विषयः मैसर्स शिव ओम दयाल इनर्जीस प्रा0 लि0, 432, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली द्वारा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर व जनपद बिजनौर में स्थापित करायी जाने वाली दो परियोजनाओं को सुविधायें प्रदान किये जानें के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4861/यूपीनेडा-बीएम-जैवऊर्जा-गाईड लाईन/2018 दिनांक 27/12/2018 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जैव अपशिष्टों के समुचित प्रबन्धन तथा उसमें निहित ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल तरीके से दोहन कर प्रदेश के आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-4 /2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017, दिनॉक 21 फरवरी, 2018 जारी किया गया है। इस शासनादेश में इंगित उपर्युक्त जैव ऊर्जा परियोजना उत्पादन इकाइयों को स्थापित किये जाने हेतु उद्यमिता मोड में कार्य करने के निर्देश हैं। प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) कार्यदायी संस्था (नोडल एजेंसी) है।

2- तद्नुक्रम में मैसर्स शिव ओम दयाल इनर्जीस प्रा0 लि0, 432, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली द्वारा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर व जनपद बिजनौर में इकाईयों की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने हेतु इकाईयों को 'लैटर आफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) परियोजनाओं हेतु भूमि क्रय मद में शत प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी की छूट उद्यमी/कम्पनी से स्टैम्प ड्यूटी के समतुल्य बैंक गारण्टी प्राप्त करने के बाद दी जायेगी।

(2) परियोजनाओं की स्थापना के उपरान्त 03 माह तक इकाई के नियमित संचालन के उपरांत परियोजनाओं हेतु स्वीकृत पूँजीगत उपादान की धनराशि सम्बन्धित उद्यमी/कम्पनी को शासनादेश दिनांक 21-02-2018 के संगत प्राविधान के अनुसार अन्तरित की जायेगी, जो पूँजी लागत की 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 150.00 करोड़ (एक अरब पचास करोड़) होगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) फर्म द्वारा जमा की गयी एस.जी.एस.टी. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस धनराशि में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि सम्मिलित नहीं होगी। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 21.02.2018 के अनुसार जैव ऊर्जा परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु आवेदन एवं वितरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अनुरूप होगी। उक्त नीति के अन्तर्गत पात्र इकाईयों द्वारा वास्तविक रूप से जमा की गयी एस.जी.एस.टी. की धनराशि जिसमे इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि सम्मिलित नहीं होती, की प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(4) उपर्युक्तानुसार एसजीएसटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति-स्थिर पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा सहित, 10 वर्षो की अवधि तक आवर्तक वितीय उपाशय है तथा परियोजना लागत का 15 प्रतिशत पूँजीगत उपादान एवं भूमि हेतु स्टैम्प ड्यूटी की छूट (बैंक गारण्टी के विरूद्ध) अनावर्तक वित्तीय उपाशय हैं। निवेशकर्ता को यह वित्तीय उपाशय परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त, तीन माह तक सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन करने पर देय होंगे।

(5) विकासकर्ता के तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन नेशनल शुगर टेक्नॉलाजी इन्स्टीट्यूट, कानपुर एवं आई.आई.टी. रूड़की से कराया गया है। उक्त दोनों ही संस्थाओं द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन परियोजना को तकनीकी रूप से संभव बताया गया है। अतः विकासकर्ता/उद्यमी द्वारा उक्त दोनों संस्थानों द्वारा उल्लिखित शर्तो का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कृपया तद्नुसार इकाईयों को लैटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। स्वीकृति उपरान्त जारी किये जाने वाले 'लैटर ऑफ कम्फर्ट' में अनुमन्य समय सीमा में इकाईयों को कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

**संख्या एवं दिनांकः तदैव।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त एवं कर निबंधन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चारूलता
सयुंक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in